



उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0  
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)  
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार  
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या : ३६ -उ0निल0/रिफार्म/विनियम/2013

दिनांक: ३। मई, 2013

### कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 10-05-2013 को सम्पन्न 155वीं बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार एतद्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम में यथा प्रभावी "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद चिकित्सा अधिकारियों की सेवा विनियम, 1994" (अद्यतन संशोधित) के विनियम 18(1) को अग्रेतर संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
<p><b>18— मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता</b></p> <p>(1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद के लिये चयन उन स्थाई उप मुख्य चिकित्साधिकारियों व गायनेकोलाजिस्ट एवं आब्सट्रीटिशियनों में से किया जायेगा जिन्होंने चयन के वर्ष में 1 जनवरी को 15 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो जिसमें से 6 वर्ष कम से कम उप मुख्य चिकित्साधिकारी या गायनेकोलाजिस्ट के पद पर, जैसी भी दशा हो, रहा हो,</p>	<p><b>18— मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता</b></p> <p>(1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद के लिये चयन उन उप मुख्य चिकित्साधिकारियों में से किया जायेगा जिन्होंने चयन वर्ष की पहली जुलाई को कुल 15 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो, जिसमें से 1 वर्ष कम से कम उप मुख्य चिकित्साधिकारी के पद पर रही हो।</p>

### निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : ३६ -(I)-उ0निल0/रिफार्म/विनियम/2013 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2— निदेशक (तकनीकी) / (वित्त) / (कार्मिक) / सलाहकार (तकनीकी), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3— मुख्य अभियन्ता (स्तर- I) / (स्तर- II), अंगपरा / ओबरा / पारीछा / पनकी / हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0।

- 4— मुख्य अभियन्ता (स्तर- I) / (स्तर- II), पी०पी०एम०एम० / वाणिज्य / ईधन/ तापीय परिचालन / आर०एण्डएम० / जानपद / पर्यावरण एवं सुरक्षा, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5— मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6— महाप्रबन्धक (लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7— सलाहकार (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8— मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निगम की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
- 9— कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ (निदेशक मण्डल की दिनांक 10-05-2013 को सम्पन्न 155वीं बैठक के एजेण्डा आइटम-4 के सन्दर्भ में)।
- 10— उप महाप्रबन्धक (मा०स०-01) को उनके पत्र सं०: 2407-मा०स०-01 / वि०उ०नि०लि० / 2013 दिनांक 15-05-2013 के सन्दर्भ में।
- 11— उप महाप्रबन्धक (मा०स०-02) / (मा०स०-03) / (मा०स०-04) / (मा०स०-05) / (प्रशिक्षण) / (संसदीय कार्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 12— सचिव (विद्युत उत्पादन सेवा आयोग), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 13— सहायक अभियन्ता (डाटा बेस), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार सिंह)  
अधीक्षण अभियन्ता (रिफार्म)